सहस्रों की विशेष

प्रपत्र सं. यआरसी-2 शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकत) नियमावली. 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में 1 एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा में रजिस्ट्रार के पास इस सुचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि वी.के. डेवलपर्स, पार्टनरशिप फर्म को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप स्किनजेस्ट वेलनेश प्राईवेट लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।

विकास करना, व्यावसायिक, आवासीय एवं मॉल, टाउनशिप एवं रीयल इस्टेट का निर्माण प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति एच.नं. 218, न्यू अनाज मंडी, वार्ड नं. 06, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा-122103 में कार्यालय मे

कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: ग्रुप हाउसिंग, दीन दयाल एफॉर्डेबल हाउसिंग का

देखी जा सकती है। एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8 सेम्क्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

आज, दिनांक 08 जनवरी, 2025 को।

whatsoever.

PEGASUS

30

आवेंदकों का नाम 1. राहल अगरवाल 2. विजय कुमार 3. अमित जैन

individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

> पेगासस एसेट्स रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिभिटेड 55-56, 5वीं मेजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 टेलीफोन: -022-61884700 ईमेल: sys@pegasus-arc.com URL: www.pegasus-arc-com

ई-नीलामी द्वारा बिक्री हेत् सार्वजनिक सुचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

एतहवारा आम जनता को तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ऑ), सह-उधारकर्ताओं, बंधककर्ता(ओं) तथा गारंटीकर्ता(ओं) को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपतियां, सुरक्षित लेनदार, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास वंचकध्यभारित अचल संपत्ति हैं, जो पेंगासस ग्रुप वन ट्रस्ट 37 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रही है, जिसे इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28/02/2019 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से अंतर्निहित प्रतिमृति ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित उधारकर्ता के ऋण साँपे गए हैं, और इन्हें सरफेली अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत "जहां है, जैसा है, तथा जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।

पेगासस के प्राधिकृत अधिकारी ने 05/08/2024 को सरफेसी अधिनियम और उसके नियमों के प्रावधानी के तहत अचल संपत्ति होने के नाते नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है। बिक्री / नीलामी नीलामी का विवरण इस प्रकार है:

उचारकर्ता(ऑ), सह—उचारकर्ता(ऑ), बंबककर्ता(ऑ) और गारंटर(ऑ) का नामः	मंसर्स जी एल. परनामी मार्केटिंग एंड कंपनी श्री अनिल कुमार परनामी श्री त्रिश्वन कुमार परनामी श्रीमती अनुज परनामी श्री अनिल मगत श्री पुनीत धभीजा श्री ब्रजेश कटारिया
बकाया देयताएं जिसके लिए सुरक्तित परिसंपत्तियां बेमी जा रही हैं:	10/09/2024 तक 4,82,11,308/— रुपये (चार करोड़ बयासी लार न्यारह हजार तीन सी आठ रुपये मात्र) फास अनुबंध दर पर ब्याज औ 11/09/2024 से मुगतान और वसूली की तारीख तक उस पर लागत, शुल और व्यय।
सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण अचल संपत्ति है जिसे बेचा जा रहा है	'र्लॉट नंबर 6, खसरा नंबर 13293 / 5345 / 1685, आयार्यपुरी, गंगा अपार्टमेंट र सामने, गुड़गांव-122001 में स्थित अचल आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा व मेसर्स जी एल परनामी मार्केटिंग के स्वामित्व में है, जिसकी सीमा इस प्रकार है उत्तर 22' बीडी सड़क, दक्षिण: हरियाणा रोडवंज वर्कशींप, पूर्व: श्री सविन व संपत्ति, पश्चिम श्री रवि गुप्ता की संपत्ति
CERSALID:	सिक्योरिटी आईडी-40006628735, एसेंट आईडी -20006619867
आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सुरक्षित परिसंपत्ति नहीं बेची जाएगी (रु. में):	*2,08.92,000/-

(ईएमडी)ः दावे, यदि कोई हों, जो ज्ञात नहीं है संपत्ति और सुरक्षित ऋणवाता को ज्ञात अन्य बकावा राशि और मूल्य के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हों संपत्तियाँ का निशेक्षणः 27 / 01 / 2025 की प्राप्त 11.00 बजे से अपराह 02.00 बजे तक। संपर्क व्यक्ति एवं फोन श्री रमाकांत पाण्डेय (प्राधिकृत अधिकारी) - 9087788888 बोली प्रस्तुत करने की 09/1/2025 से 04:00 अपराद्ध तक. अंतिम तिथिः ई-मीलामी / बोली वेबसाइट ,https://sarfaesi.auctiontiger.net) के माध्यम से

F.20.89.200 /-

यह प्रकाशन प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के अंतर्गत उपर्युक्त उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस मी है। बिक्री के यिरतृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया किसी भी बोली को प्रस्तुत करने से पहले सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी http://www.pegasus-arc-com/assets-to-auction-html या वेबसाइट (https://sarfaesi.auction-tiger.net) देखें या सेवा प्रदाता ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें। नीलामी टाइगर बोलीदाता सहायता संख्या: 079-68136805/68136837 मी: 919978591888, इमेल ramprasad@auction-tiger-net और ssupport@auctiontiger.net से संपर्क करें।

03/01/2025 की सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 08.01.2025

बयाना राशि जमा

प्राप्तिकृत अधिकारी पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, (पेगासस ग्रूप वन ट्रस्ट 37 के ट्रस्टी)



अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सुचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के नियम ८(६) आरएनवी नियम ९(१) के अंतर्गत)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर / डब्ल्यू नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित। ऋण खाता संख्या ७१७७२३३: श्रीमती मीरा गौतम

यह सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल)** एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसूला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई— 400013 में है और **उत्तर प्रदेश** में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय भी है (''शाखा'')। दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल'') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") को हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड (''टीसीएल'') को हस्तांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरक कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ 01.01.2024 से सभी संपत्तियों,

अधिकारों, लाभों, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभृतियों आदि के साथ टीसीएल में विलय हो गई हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए ख्डधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं, से उसी के अनसार दावा करने का हकदार है। इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से नीचे दिए गए उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो टाटा कैपिटल लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार / टीसीएल) के पास गिरवी रखी गई है, जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 31 जनवरी, 2025 को "जैसा है जहाँ है के आधार पर" और "जैसा है और जो कुछ भी है और बिना सहारा के आधार पर" बेची जाएगी।

जबिक सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री की जानी है और ऋण **खाता संख्या 7177233** के माध्यम से 08.01.2025 को उधारकर्ताओं और सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों अर्थात **(1) श्रीमती मीरा गौतम, पत्नी** अनिल गौतम और (2) श्री अनिल कुमार गौतम, पुत्र स्वर्गीय श्री रामभरोसे गौतम, दोनों निवासी मकान/फ्लैट संख्या 203, द्वितीय तल, सूर्या अपार्टमेंट, लॉयर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005 (3) मेसर्स गौतम स्टाइलिश स्कार्पे, अपने प्रोप /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, 8ए /आरएन / 65, गणेश नगर, लॉयर्स कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश—28200, (4) श्री प्रवीण कुमार सिंह / पवन कुमार, पुत्र श्री प्रताप सिंह चाहर, 38 | बी / 43, सेवला सराय, ग्वालियर रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश—282005, यह भी पताः हाउस / फ्लैट नंबर 203, द्वितीय तल, सूर्या अपार्टमेंट लॉयर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा आरए, उत्तर प्रदेश–282005 से रूप्यें 2,44,08,518/– रुपये (दो करोड़ चौवालीस लाख आत इत्तार पांच सौ अतारह मात्र) की राशि बकाया थी । इसके दारा यह सचन दी जाती है कि बिक्री में किसी प्रकार की स्थगनध्विराम की अनुपस्थिति में उक्त संपत्ति **ई—नीलामी द्वारा दोपहर** | 2.00 बजे बेची जाएगी। उक्त 31 जनवरी, 2025 को टीसीएल द्वारा, जिसका शाखा कार्यालय 03वीं मंजिल, राजेंद्र **प्वाइंट, 1 रघुनाथ नगर, एम. जी. रोड, आगरा– 282002** में है। ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के साथ संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद ई—नीलामी **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त **30 जनवरी, 2025** को शाम **05:00** बजे तक प्राप्त की जाएगी।

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार		बयाना राशि
8	रचनात्मक / भौतिक	मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
मिनजुमला खसरा संख्या 259 वाला भूखंड, क्षेत्रफल 250.83 वर्ग		₹.	₹.
मीटर, नागले पाडी, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश-		81,80,000 /	8,18,000 /
282005 में स्थित, बिक्री विलेख दिनांक 26.03.2004 में अधिक	भौतिक	_	-
विशेष रूप से वर्णित, अनिल गौतम और श्री प्रवीण कुमार सिंह		(रुपये	(रुपये आठ
/ पवन कुमार के पक्ष में निष्पादित। सीमाः पूर्वः अन्य की संपत्ति,		इकासी लाख	লাख
पश्चिमः श्री रामनाथ का प्रोप, उत्तरः अन्य का भूखंड, दक्षिणः		अस्सी हजार	अठारह
भूखंड का निकास और रास्ता 30 फीट चौड़ा।		मात्र)	हजार मात्र)
		14	

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विवरण अनुसूची में है। ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति के अंदर या भीतर पड़ी चल वस्तुएंध्घरेलू सामान सुरक्षित संपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से वर्णित न हो। यदि पूर्वोक्त देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दी जाती है या उसके संतोष के लिए सबूत दे दिया जाता है कि ऐसे सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागत की राशि का भूगतान कर दिया गया है, तो बिक्री भी रोक दी जाएगी। बिक्री के समय, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, सीधे या परोक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में कोई भी हित के लिए बोली नहीं लगाएगा, अधिग्रहण नहीं करेगा या अधिग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी 31 जनवरी, 2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच पोर्टल https://BidDeal.in के माध्यम से होगी, जिसमें प्रत्येक बोली के लिए 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा। संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर बताए अनुसार बयाना राशि "टाटा कैंपिटल लिमिटेड" के पक्ष में आगरा में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होनी चाहिए। संपत्ति का निरीक्षण 23 जनवरी, 2025 को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है। ऋणभारः यहां "**अनुलग्नक/अनुसूची"** में वर्णित संपत्ति की नीलामी बिक्री वर्तमान में माननीय ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष लंबित और न्यायोचित किसी भी ऋणभार, दावे या विवाद के अधीन है। पक्ष स्वीकार करते हैं कि उक्त संपत्ति डीआरएटी के समक्ष चल रही कानूनी कार्यवाही का विषय है, और न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी परिणाम आदेश या निर्देश का कानून के अनुसार सख्ती से पालन किया जाएगा। सफल बोलीदाता इस प्रकार संपत्ति को उसकी वर्तमान कानुनी स्थिति में स्वीकार करने के लिए सहमत है, यह समझते हुए कि संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी ऋणभार या देनदारियों या न्यायाधिकरण के आदेशों को नीलामी के बाद सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, सफल बोलीदाता संपत्ति की कानूनी स्थिति और ऋणभार के बारे में अपने स्वयं के उचित परिश्रम का संचालन करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के खिलाफ विक्रेता को क्षतिपूर्ति

नोटः इच्छुक बोलीदाता टाटा कैपिटल लिमिटेड से मोबाइल नंबर +91–8691005238 /प्राधिकृत अधिकारी, श्री जगदीप सहरावत, ईमेल आईडीः jadeep.sehrawat@tatacapital.com, और मोबाइल नंबर +91- 8588806158 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट, i.e.http://www.tatacapitalcom/content/dam/tata-capital/pdf/e-auction/tcfsl/7the- AuctionNewspaper-Publication-Meera-Gautam-7177233-pdf पर दिए गए लिंक को देखें स्थानः आगरा (उत्तर प्रदेश) दिनांकः ०९-०१-२०२५ हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल लिमिटेड

punjab national bank पंजाब नेशनल बैंक सर्कल सस्त्र केन्द्र, 1-पल्टन बाजा़र, क्लॉक टॉवर, देहरादून (उत्तराखण्ड)-248001

एत्तद्वारा यह सुचना दी जाती है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता 1. श्री मेहर सिंह पुत्र श्री सार सिंह (ऋणी), 2. श्रीमती सेमानी देवी पत्नी श्री मेहर सिंह (ऋणी व बंधककर्ता), 3. श्री करम सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री शीश राम (गारंटर) के कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से, बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और व्याज के पुनर्भतान में चक की है, और ऋण को गैर–निष्पादित संपति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये नोटिस उनके अंतिम ज्ञात पते पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पनर्निमाण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत उनके खिलाफ दायर किए गये थे. लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से उन्हें अवगत करा दिया गया है।

(अधिनियम की धारा 13(2)) के तहत मांग सूचना

क्र0 सं0	शाखा / ऋणी / गारन्टर के नाम	सम्पत्तियों का विवरण / सुरक्षित परिसंपत्तियों का पता किया जाना	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि (एनपीए) की तिथि के अनुसार
1.	साखा : विकासनगर, देहरादून ऋणी : श्री महर सिंह पुत्र श्री सार सिंह, ऋणी / वंधककर्ती : श्रीमती सेमानी देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, दोनों का पता: 1 गान बागनी, पोठ शोठ बुल्हां इतहसील त्यूनी, देहरादून—248196, 2 लखवाड़, कॉ लो नी, डाकपत्थर, देहरादून, उत्तराखण्ड—248125, 3 नवाबगढ़, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड— 248198, गारंटर श्री करम सिंह चौहान पुत्र स्वठ श्री शीशराम, पता लाइन जीवनगढ़, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड—248196	पश्चिम— श्री चमन लाल की आबादी संपत्ति, साइड माप-30 फीट, उत्तर- पानी गल और चैत की भिम, साइड माप-25 फीट, दक्षिण-	एनपीए की तिथि 29.02.2024	6,05,880.69 दिनांक

उपरोक्त उधारकर्ता (ओ) और उनके गारन्टर (ओ) (जहाँ भी लागू हो), को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है. ऐसा न करने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधनों की और आकर्षित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक दिनांक: 08.01.2025 स्थान – देहरादून

Chola चौलामडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड **कार्पोरेट कार्यालय** : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कब्जा सचना नियम 8(1) के अधीन

जबिक. अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भगतान उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त

नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर पत्याभत आस्ति छदा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(ৰী)	(सी)	(डी)	(₹)	(एफ)
1.	ऋण खाता सं. HE01ELD00000018377 1. राज कुमार शर्मा बी—8 / 61, सेक्टर—11, रोहिणी, दिल्ली—110085 2. मैसर्स शिव कृष्ण एंटरप्राइजेज (इसके स्वामी राज कुमार शर्मा के माध्यम से) प्लॉट नंबर 882, गली नंबर 3, ग्राम रिठाला औद्योगिक निकट रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप, दिल्ली—110085 अन्य पता :— बी—8 / 61, सेक्टर—11, रोहिणी, दिल्ली— 3. अलका शर्मा बी—8 / 61, सेक्टर—11, रोहिणी, दिल्ली—110085 4. मैसर्स श्री जी फैंब्रेक्स (इसकी स्वामिनी अलका शर्म प्लॉट नंबर 882, गली नंबर 3, ग्राम रिठाला औद्योगिक अन्य पता :— बी—8 / 61, सेक्टर—11, रोहिणी, दिल्ली—	110085 ि के माध्य क्षेत्र, निव	ाम सो)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति सं. 61, पाकेट— बी—8 ,सेक्टर—11, क्षेत्रफल परिमाप 50.40 वर्ग मीटर, रोहिणी आवासीय स्कीम, दिल्ली चौहद्दी निम्नानुसार :— उत्तर : प्रवेश, दक्षिण : एस / 1 एएनएफ, पूरब : प्लॉट नंबर 60, पश्चिम : प्लॉट नंबर 62	08—01—2025 सांकेतिक

तिथि : 09-01-2025 स्थान : दिल्ली / एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'') के तहत **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) **कॉर्पोरेट कार्यालय** : प्लॉट नं. 98. उद्योग विहार, फेज-क्ष, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) और शाखा कार्यालय 30/30ई, ऊपरी भृतल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसुली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सुचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में अधोलिखित सम्पत्ति/यों का ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही हैं'' तथा ''आश्रय रहित'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधीहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

कर्जदार(रो)/सह- कर्जदार(रों)/जमानतियों	माँग सूचना की तिथि तथा राशि		ग्म्पत्ति∕प्रतिभूत आस्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
 श्री सागर अग्रवाल श्री बसंत लाल चला राम जी ज्वैलर्स श्री गिरिराज प्रसाद अग्रवाल श्रीमती बिमलेश अग्रवाल (प्रोस्पेक्टर नं. 969911, 975134) 	16-अगस्त-2024 रु. 93,69,390/- (रुपये तिरानबे लाख उनहत्तर हजार तीन सौ नब्बे मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र)	छत/छत के अधिकार के, (सामने बाईं ओर एक दु		30-दिसंबर-2024 दिनांक 05-दिसम्बर-2024 तक कुल बकाया राशि रु. 86,02,526./- (रुपये छियासी लाख दो हजार पांच सौ छब्बीस मात्र)	रु.1,21,21,000/- (रुपए एक करोड़ इक्कीस लाख इक्कीस हजार मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी रु. 12,12,100/- (रुपये बारह लाख बारह हज एक सौ मात्र)
77	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	01	ईएमडी की अन्तिम तिथि	ई-नीलामी व	तिथि ∕समय
11-फरवरी-2025 1100 बजे - 1400 बजे			14-फरवरी-2025 को 5 बजे अप. तक	ा 18- फ रवरी-2025 1	100 बजे-1300 बजे

भुगतान का माध्यम : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किये जाने हैं। भुगतान करने के लिए आपके https://www.iiflonehome.com पर जाना होगी और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। **नोट**ः प्रत्येक सम्पत्तिरप्रतिभृत आस्ति के लिए भुगतान भिन्न-भिन्न है। सुनिश्चित करें कि आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं।

शेष भुगतान के लिए, https://www.iiflonehome.com>My Bid >Pay Balance Amount पर लॉगिन करें।

ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com/ के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छूक संविदाकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा संविदाकार अपने प्रस्ताव "**संविदा वृद्धि राशि**" के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने

सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मुल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री की पृष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे।

क्रेता को सेस, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारो क्रेता को बिक्री राशि के लेनदेन/भगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्ती हेतु वेबसाइट

https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है। अधिक विवरण. सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : care@iiflonehome.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 1800 2672 499

सम्पत्ति से सम्बन्धित पृछताछ, सम्पत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइल संविदा आदि के लिए आईआईएफएल एचएफएल के टोलफ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार तक 09:30 बजे से 18:00 बजे के बीच कॉल करें या ई-मेल:- care@iiflonehome.com पर लिखें।

एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभृत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सूचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. एतद्वारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।

11. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पनः बिक्री पर रखा जायेगा।

12. एओ को बिना कोई कारण बताइए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अन्तिम होगा। सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना

एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्यक्त राशि का भगतान करने के लिए अधिसचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति कं नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसुल किया जायेगा। स्थान : दिल्ली तिथि : 09.01.2025 ह/- अधिकृत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) [नियम-8(1)]

चंकि. उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि. का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण व पनःनिर्माण तथा प्रतिभति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि की अदायगी के लिए कर्जदार/गारंटर को आमंत्रित करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विकर्जदार∕रेहनकर्ता, सह–कर्जदार∕रेहनकर्ता व सह–कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावद्यानों के अंतर्गत प्रतिभृतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन-देन 🛮 करने से एतदद्वारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्चें के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि**. के प्रभार के अधीन होगा। डिमांड नोटिस एनपीए डिमांड नोटिस के

कर्जदार⁄सह-कर्जदार⁄रेहनकर्ता के नाम	अचल संपत्तियों	डिमांड नोटिस	एनपीए	डिमांड नोटिस के
	का विवरण	की तिथि	की तिथि	अनुसार बकाया
(1) राकेश कुमार पुत्र जगदीश पार्षद उर्फ जगदीश प्रसाद, पोस्ट ऑफिस के पास, शिवपुरी, मनिहारान देहात, रामपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247451, (2) बबीता	प्लॉट, खसरा नंबर 2628, गांव रामपुर म तहसील रामपुर मनिहारन जिला सहार	जबता बैरून हदूद नपुर, उत्तर प्रदेश	, परगना और में स्थित है,	25,33,239/- रु. जो 14.10.2024 को देय है व उस पर ब्याज।
रानी पत्नी राकेश कुमार, डाकघर के पास, शिवपुरी, मनिहारान देहात, रामपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247451, ऋण खाता क्रमांक 223476200000002 में।	गुप्ता का प्लॉट, दक्षिणः अनिल कुमार क	•		
1. राहुल पुत्र श्रीपाल , प्रेम नगर, बाईपास, रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002, 2. केएम मनु पत्नी राहुल, प्रेम नगर, बाईपास, रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-	हिस्सा, जो पहले खसरा नंबर 235 और	238 की भूमि क	। था, जिसका	10.06.2024 को देय हैं
	क्षेत्रफल 41.8 वर्ग मीटर है, जो सूर्य कुंज	1, राजस्व गांवः मुर	लीपुर गुलाब,	व उस पर ब्याज।

|पूर्वः- सड़क, पश्चिमः प्लॉट नंबर 15 का शेष भाग, उत्तरः- रास्ता, दक्षिणः- सड़क। संपत्ति| प्रदेश- 250622 राहुल पुत्र श्रीपाल यानी आपके बीच नंबर 1 की है। ऋण खाता संख्या 2260210040000013 में। संपत्ति प्लॉट क्षेत्रफल 757 वर्ग मीटर 21.10.2024 08.01.2025 12,28,612/- रु. जो (1) मेसर्स स्टार इंजीनियरिंग ब्रदर्स अपने मालिक के माध्यम से, 82, मो मंडी चमारान - I, पुलिस स्टेशनः सरधना, बसरा संख्या 712/4 से संबंधित है, जो बाबूखान, ईदगाह रोड, 17.10.2024 को देय है

मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250342, यहां भीः ग्राम सरधना देहात, धरमपुरी, कस्बा सरधना, परगना और तहसील सरधना, जिला मेरठ, ईकरी रोड, देवी मंदिर चोराना के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश-उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाः पूर्वः सड़क, पश्चिमः अन्य का खेत, 250342, (2) तलब अली उर्फ तालिब उर्फ तालाब अली, उत्तरः भूमि रियाज खान, दक्षिणः अन्य का खेत। यह संपत्ति रुकसाना पत्नी तालाब अली @ पुत्र बाबू खान उर्फ बाबू खा, मकान नंबर 82, मो मंडी तालिब @ तालाब अली यानी आप में से नंबर 3 की है। चमारान- ।, पलिस स्टेशन और तहसील सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250342, इसके अलावाः इकरी रोड, धरमपुरी, सरदाना (ग्रामीण), मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250342; (3) रुकसाना पत्नी तालाब अली उर्फ तालिब उर्फ तालाब अली, 82, मो मंडी चमारान - I, पुलिस स्टेशन, सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250342, इसके अलावा पताः इकरी रोड, धरमपुरी, सरदाना (ग्रामीण), मेरठ, उत्तर

प्रदेश- 250342, इसके अलावाः 63 (पुराना), मकान नंबर 82 (नया), मंडी चमारान - I, सरधना मेरठ, पुलिस स्टेशन और तहसील सरधना, उत्तर प्रदेश- 250342; (4) सलमान पुत्र तालाब अली उर्फ तालिब उर्फ तालाब अली, 82, मो मंडी चमारान - । पुलिस स्टेशन, सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250342, इसके अलावा पताः 🛮 63, मंडी चमारान – प्रथम, सरधना मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250342, ऋण खाता क्रमांक 2220210090000009 में प्राधिकृत अधिकारी स्थानः सहारनपुर, कंकरखेड़ा और मेरठ (यूपी)

यस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सैंटाक्रूज ✓ YES BANK (पूर्व), मुंबई- 400055 वेबसाईट: www.yesbank.in

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और जिनके ऋण खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्हें बिना सेवा दिए वापस कर दिया गया है और उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सचित किया जाता है।

क्र सं	खाता सं	ऋण का प्रकार	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता का नाम	13(2) के अनुसार बकाया	एनपीए की तिथि	नोटिस की तिथि		
1.	MIC000 301349 004	माइक्रो एलएपी	 श्री परवीन कुमार बंसल ("उधारकर्ता") पुत्र श्री राम भज बंसल श्रीमती मीनू बंसल ("सह-उधारकर्ता") पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार गोयल श्री राम भज बंसल ("सह-उधारकर्ता") पुत्र श्री जागे राम श्रीमती सावित्री बंसल ("सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता") पत्नी श्री राम भज बंसल 	30.12.2024 तक 34,27,646.06/- रुपये (चौंतीस लाख सत्ताईस हजार छह सौ छियालीस और छह पैसे मात्र) बकाया	5 अगस्त 2024	3 जनवरी 2025		

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: छत के अधिकार के बिना पूरा ग्राउंड फ्लोर हिस्सा, 60 वर्ग गज का क्षेत्रफल, नगरपालिका की फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति का हिस्सा जिसका नंबर 2525 (पुराना नंबर 1400) है, खसरा नंबर 231 में से 105 वर्ग गज की भूमि, गांव चौकरी, मुबारकबाद, ओंकार नगर-ए, गली नंबर 193, त्रि नगर, दिल्ली-110035 में स्थित है, जिसका विशेष विवरण 24.04.2006 के बिक्री विलेख में दिया गया है। सीमाः पूर्वः श्री महेश चंद की संपत्ति नंबर 2525 और सीढ़ियाँ, पश्चिमः संपत्ति नंबर 2524, उत्तरः सड़क 20 फीट, दक्षिणः संपत्ति नंबर 2525 का शेष भाग।

उपरोक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (जहां भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है. ऐसा न करने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई

यह आपके ध्यान में लाने के लिए है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, जहां सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि के साथ–साथ सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए सभी लागत, शुल्क और खर्च सार्वजनिक नीलामी/बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय सुरक्षित लेनदार को सौंप दिए जाते हैं, सरक्षित परिसंपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उस सरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 08.01.2025 हस्ता/-अधिकत अधिकारी स्थानः दिल्ली कृते यस बैंक लिमिटेड

SMFG

कड़ोटार का नाम तथा ऋण ग्याता संख्य

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

कॉपोरेंट कार्यालय: 10वीं मंत्रिल, कार्यालय से. 101, 102 तथा 103, 2 नॉर्थ एथेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांहा कुला कॉम्पलेक्स, बांहा (पू.), मुम्बई-400051 कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति हेतु

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्भाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की फुलरटन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय कॉमसौन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउंट पुनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116 तथा कॉपोरेंट कार्यालय मेकर मैक्सिटी, 10वीं मंजिल, कार्यालय नंबर 101,102 और 103,2, नॉर्थ एवेन्यू, बांद्रा कुलां कॉम्प्लेक्स, बांद्रा इंस्ट, मुंबई- 400051 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पंडित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के घीतर कथित सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सुचना जारी की थी।

कर्जदारों ह्यार पुनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतहारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहरताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा

(1) सोमधीर हुम्र, (2) कविता हुम्र	23.10.2024	कर्क्जका प्रकार
ऋग खाता संख्या 212220910890732	रु. 24,44,177/- [रुपये चीबीस लाख चीवालीस हजार एक सी सतहतर मात्र]	07-01-2025 सांकेतिक कश्जा
अचल संपत्ति का विवरण: खेवट/खाता संख्या 498/58	0 पर निर्मित तथा एम संख्या 66 खसरा संख्या 27 (0-19) क्षेत्र माप 4.

मरले पर संपत्ति का समस्त भाग, मौजा दयालपुर में स्थित, उप-तहसील दयालपुर, जिला फरीदाबाद।

मांग सूचना की तिथि तथा बकावा	कश्जे की तिथि	
15.10.2018	कब्जे का प्रकार	
क.1,92,11,863,34/- [कपये एक करोड़ धानवे लाख ग्यारह हजार आठ सी तिरसट तथा धीतीस पैसे मात्र]	07-01-2025 सांकेतिक कथ्या	
	15.10.2018 क.1,92,11,863.34/- [कपरे एक करोड़ बानवे लाख	

वर्ग गज। एउद्वारा जनसम्बन्ध को सथा विशेष रूप से कर्जदार को संपत्ति से किसी प्रकार का संस्थवहार न करने की चेतायनी दी जाती है और सम्पन्तियों के साथ किसी प्रकार का संस्थवहार राशि उपर उल्लिखित तथा उस पर ब्याज सहित एसएभएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की कुलरटन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड) के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिचत आरितयों को विभोधित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष में कजेंद्रार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थान : फरीदासार/गुरुग्राम, तिथि : 09.01.2025 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, एसएमएफओ इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की फुलस्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड)

वसूली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

विक्रय उद्घोषणा

टी.आर.सी. सं. 1474/2022

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय-भूग्तेय ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित

आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत विक्रय की उद्घोषणा (सीडी 1) कामिनी गुप्ता,

(सीडी 2) राजेश गुप्ता,

दोनों का पता यहां हैं: मकान नंबर : 1 / 10073, टॉप फ्लोर, एसटी. नं. 3जे, वेस्ट गोरख पार्क, विक्रम बेदी के सामने, शाहदरा, दिल्ली अन्य पता यहां परा भी: ||/164, ऊपरी भूतल, गांव चंद्रावली उपनाम शाहदरा, छोटा गुरुद्वारा वाली गली, जैन साड़ी के पास, शाहदरा, दिल्ली (सीडी 3) चंदर प्रकारा, मकान नं. 10068, सेक्टर-3, वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध कामिनी गुप्ता

1. जबिक पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 741/2017 में हस्तांतरण वसूली प्रमाण पत्र संख्या 1474/2022 को रु. 2161018.02 की एक राशि की वसूली के लिए आहरित किया गया है, साथ ही लागत और भविष्य के ब्याज को 10.25% प्रति वर्ष की दर से आहरित किया गया है, जो कि ओ.ए. भरने की तिथि से इसकी वसूली तक प्रमाण पत्र देनदारों से लागत और वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार लागत और शूल्क 2. और जबिक अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त प्रमाणपत्र से संतुष्ट होकर के निम्नानुसूची में वर्णित संपत्ति के विक्रय का आदेश दे दिया है।

3. और जबिक यहां उसके अंतर्गत रु. 2161018.02 की एक राशि और ओए की फाइलिंग की तिथि से प्रभावी होकर वसूलीकरण तक 10.25% वार्षिक की सामान्य दर पर लागतों एवं भावी ब्याज के साथ ही लागत का भी भुगतान किया जाना है। एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में, नीचे दी गई संपत्ति / संपत्तियों को ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और बोलीदान जो है वह वेबसाइट : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 24-01-2025 को दोपहर 12.00 बजे से अपराहन 01.00 बजे के बीच, अपराहन 01.00 बजे के उपरांत 5 मिनटों की अवधि के विस्तारों के साथ, यदि आवश्यक हुआ तो, "ऑजलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान" के माध्यम से संपन्न होगा।

4. ई–नीलाम किये जाने हेतू प्रस्तावित संपत्ति के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धराज
1.	प्रॉपर्टी नं. ।। / 164, ऊपरी भूतल, बिना छत के, तेलीवाड़ा, ग्राम चंद्रावली उपनाम शाहदरा,	रङ. 12.00	रू. 1.20
	तालुका—237, छोटा गुरुद्वारा वाली गली, जैन साड़ी के पास, शाहदरा, दिल्ली	लाख	लाख
5 र्रामरी	का भगतान दिमांद साम्द्र / मे ऑर्टर के मध्यम से रिकर्की ऑफिसर सीथारटी 1 दिल्ली खाता ही 3	भाग सी सं १४७४ / २०२२	के एथ में गटनान-गत

(वोटर आईकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति के साथ किया जाएगा, जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति होनी चाहिए जो वसली अधिकारी, डीआरटी-।, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 21-01-2025 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले अवश्य पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं की स्थिति में उक्त जमा राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों के बंद होने पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता / बैंक / वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी-।, दिल्ली से ईएमडी वापस प्राप्त कर सकेगा।

6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरणों अर्थात पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर इत्यादि के साथ "टी.आर.सी. सं. 1474/2022" शीर्ष पर लिखा

7. इच्छुक बोलीदाताओं के पास ई-नीलामी में भाग लेने के लिए एक वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ईमेल पता और पैन नंबर होना चाहिए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ पेट्रोकेम बिलिंडग, बिलिंडग नंबर, 301, उद्योग विहार, फेज 2, गुरुग्राम, हरियाणा— 122015 (भारत) दुरभाष 91-124-4302020 / 21 / 22 / 23, 91 7291981124 / 25 / 26, संपर्क व्यक्ति, विनोद चौहान, मोबाइल नंबर 9813887931, ईमेल : SUPPORT@BANKEAUCTIONS.COM वेबसाइट HTTPS://WWW.BANKEAUCTIONS.COM से संपर्क करें।

8. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उपरोक्त ई-नीलामी में बोलीदान करने के लिए प्राप्त करना अनिवार्य है।

9. संबंधित बैंक अधिकारियों के विवरण / हेल्पलाइन नंबर इत्यादि निम्नानुसार हैं :--

नाम एवं पदनाम ईमेल एवं दूरभाष नंबर्स मोबाइल जं. 9781001187. इमेल : ubin0557838@unionbankofindia.bank निशा कनौजिया 10. जो बेचने का प्रस्ताव है वे अधिकार हैं जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा, वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा

11. संपत्ति का निरीक्षण संभावित बोलीदाता(ओं) द्वारा बिक्री की तिथि से पहले किया जा सकता है, जिसके लिए बैंक के उपर्युक्त नामित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी भी या सभी बोलियों को अनुचित पाए जाने पर स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी

में किसी भी बदलाव के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। संपत्तियों की बिक्री "**जैसी हैं जहां हैं" और "जैसी हैं जो हैं"** शर्त पर की जाएगी।

समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी, ऐसे बोलीदाताओं द्वारा पहचान साक्ष्य जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार और पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र की पहचान / प्रस्तृति पर बोलीदाता द्वारा डीआरटी-। की रजिस्ट्री से प्राप्त की जाएगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि एक समृचित समयावधि में प्राप्त नहीं करते हैं, तो तत्काल वसूली अधिकारी, डीआरटी–।, दिल्ली / अथवा बैंक से संपर्क करेंगे।

14. बिक्री, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे हैं जो प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

15. संपत्ति को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट्स के अंतर्गत बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि, संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से प्राप्त हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। बिक्री को तब भी रोक दिया जायेगा, यदि किसी भी लॉट को रखने से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सिहत) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तूत कर दी जाती है या उनकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण दे दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागतों का अधोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान कर दिया गया है। 16. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो बिक्री के संबंध में हालांकि कोई कर्तव्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निभा रहा है, वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता।

17. बिक्री जो होगी वह आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली में निर्धारित शर्तों और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : संलग्नित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई/होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

18. जिस राशि से बोलीदान बढ़ाया जाना है, वह **रु. 10,000/— (रुपये दस हजार मात्र)** के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के संबंध में

कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में. लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। 19. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता तब घोषित किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा बोलीदान की गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो / कम नहीं है। यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेक पर होगा कि वह उस स्थिति में उच्चतम बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर दें,

जब प्रस्तावित कीमत स्पष्ट रूप से इतनी अपर्याप्त हो कि बोलीदान करना ही अनुचित प्रतीत होता हो। 20. सफल / उच्चतम बोलीदाता को ई—नीलामी की समाप्ति के 24 घंटों के अंदर और बयाना राशि (ईएमडी) को समायोजित करने के उपरांत वसूली अधिकारी, डीआरटी—1, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. सं.: 1474/2022 के पक्ष में बिक्री आय की 25 प्रतिशत राशि का डीडी/पे ऑर्डर तैयार करना होगा


और इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार भेजना / जमा करना होगा ताकि यह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर वहां पहुंच जाए। ऐसा न करने पर बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी। 21. सफल / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री आय का शेष 75 प्रतिशत, संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन या उससे पहले, ऐसे दिन को छोडकर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर, वसूली अधिकारी, डीआरटी—। के पास वसूली अधिकारी,

डीआरटी-1, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. सं: 1474/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रजिस्ट्रार, डीआरटी-। दिल्ली के पक्ष में रु. 1,000 / – तक की राशि पर 2 प्रतिशत की दर से और रु. 1,000 / – से अधिक की ऐसी कुल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना शुल्क जमा करना होगा। (डाक के माध्यम से शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने की स्थिति में वह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)। 21. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा। बिक्री के खर्च को चुकाने के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता को ठीक लगता है, सरकार के पास जब्त की जा सकती है और चूककर्ता खरीदार के

सं	संपत्ति से संबंधित या इसे बेचकर अर्जित होनेवाली राशि के किसी हिस्से से संबंधित समस्त दावे जब्त हो जाएंगे।						
संपत्ति की अनुसूची							
लॉट सं.	उस संपत्ति के विवरण जिसे उस स्थिति में सह-स्वामियों के नामों के साथ बेचा जाना है, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है	संपत्ति अथवा उसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्व		दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है, तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण			
1.	प्रॉपर्टी नं ।। / 164 ऊपरी भतल बिना छत के तेलीवाड़ा ग्राम चंदावली						

उपनाम शाहदरा, तालुका— 237, छोटा गुरुद्वारा वाली गली, कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है जैन साडी के पास, शाहदरा, दिल्ली

वसूली अधिकारी, आज 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा के अंतर्गत निर्गत



www.readwhere.com